




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेख ट्रस्ट डीड

W - 46  
X 733105  
2017



प्रारूप कर्ता: विकास धामा एडवोकेट बड़ौत

फोटो स्वयं मुकिरान ने सत्यापित किये है।

किता 10 स्टाम्प शुल्क: रु 2,160/- (सम्पूर्ण दस्तावेजों के लिए)

हम कि विनोद कुमार गिरि पुत्र अभ्यराम निवासी फ्लैट नं 40 डी०डी०ए०  
एस०एफ०एस० फ्लैट्स पॉकेट १ सैक्टर २२ द्वारका नई दिल्ली १००७७ व शशांक  
शेखर पुत्र श्री सदानन्द झा नि० बी.३०८ एफ.एम.सी.जी.एच.एस प्लाट नं० १८  
सैक्टर १० द्वारका नई दिल्ली ११००७० व श्री अभ्यराम पुत्र स्व० धूलीगिर निवासी  
ग्राम माखर पोस्ट जिवाना गुलियान तहसील बड़ौत जिला बागपत व राजीव कुमार

2-3/18

स्टास्य विक्रय की तिथि.....

२१/८/३७

स्टास्य क्रय करने का प्रदौजन.....

२१/८/३७

स्टास्य ब्रेक द्वारा लापता हुआ पत्र.....

प्रियों को इमानु का मृत्यु ज्ञान देना

स्टास्य की विवरण

दूषित गति चला

स्टास्य की विवरण

दूषित गति चला

वाहन की विवरण

दूषित गति चला

स्टास्य की विवरण

दूषित गति चला

स्टास्य की विवरण

दूषित गति चला


स्टास्य की विवरण

दूषित गति चला



G3747





UTTAR PRADESH

DM 764102

2

30.03.2017

गोस्वामी पुत्र स्व० श्री पी०जी० गोस्वामी निवासी बिनौली पश्चामा बर्सनावा तहसील  
बडौत जिला बागपत व अवि गोस्वामी पुत्री श्री विनोद कुमार गिरि निवासी फ्लैट  
नं० 40 डी०डी०ए० एस०एफ०एस० फ्लैट्स पॉकेट.१ सैक्टर 22 द्वारका नई दिल्ली  
10077 के है। जिन्हे आगे व्यवस्थापक कहा गया है व्यवस्थापकों की हार्दिक इच्छा  
समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने की है जिसके लिए उपरोक्त  
व्यवस्थापको ने यह ट्रस्ट बनाने का निश्चय किया है तथा इस ट्रस्ट का नाम  
(एम०डी०डी० जी० माखर एजुकेशनल एण्ड सोशल बेलफेयर  
ट्रस्ट) (M.D.D.G. MAKHAR Educational & Social Welfare  
Trust) दिनांक 31.03.2017 को स्थापित किया गया है।

स्थाप विक्रय की तिथि

स्थाप हवा करने का प्रक्रिया

स्थाप क्रेता का नाम व दूजा पता

29  
201807

लेटर  
टॉक नंबर

स्थाप दी १५०००००

रुपयों में स्थाप विक्रय

लाइनों में स्थाप विक्रय

लोदी जी की राजी विक्रय कुमार गिरी/आधार कार्ड

लोदी जी की राजी विक्रय कुमार गिरी/आधार कार्ड

व्यवसाय श्रीराम अभ्यराम गिरी

व्यवसाय

निवासी स्थायी निरो फलेट नं ० ४० द्वारका नई दिल्ली

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 31/3/2017

जास पत्र

3-020-00

नकल व प्रति शुल्क

120 3,140.00

योग

38

पृष्ठों की संख्या



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

ओमप्रकाश प्र०

उपनिबंधक

बडौत

31/3/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान आकाश तोमर

इन्द्रपाल सिंह

पेशा

31/3/2017

निवासी निरो हिलवाड़ी तहसील बडौत

व

देवेन्द्रधामा  
ओमकार

१७  
१९८५



पेशा

निवासी बिनौली तहसील बडौत

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साधियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधि

ओमप्रकाश प्र०  
उपनिबंधक



Uttar Pradesh

3

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 1,51,000/- रु० का एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया

गया है के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की गयी है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 1,51,000/- रु० को इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि को अंकन 1,51,000/- रु० इस उद्देश्यों से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीकरण उचित राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे उपरोक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस

11/15



राष्ट्रीय विक्रम की लिखि  
राष्ट्रीय विक्रम का प्रशोधन  
राष्ट्रीय विक्रम का चाप थ पूरा करा

आवेदन

2005

अप्रैल ते २८-२१

न्यासी

राष्ट्रीय विक्रम की अनुसंधान

चयनक्रम Registration No.

46

संगठन संख्या ०५/द्वारका/१५  
०१.०१.२०१६ विनोद कुमार गिरी/आधार कार्ड  
कार्यालय अमेरिका कल्पना कार्यालय

निम्न फलेट नं ०.४० द्वारका नई दिल्ली

Log Year: 2,017

राष्ट्रीय विक्रम




31/3/2017 3:40 PM

Book No.:

4





विलेख का निष्पादन कर रहे हैं अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकारण करते हैं और घोषणा करते हैं कि:-

4

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम एम.डी.डी.जी.ओ माखर एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेर ट्रस्ट (M.D.D.G. MAKHAR Educational & Social Welfare Trust) होगा।

2- यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय फ्लैट नं 40 डी.डी.ए.०४० एस.०५०.एस.० फ्लैट्स पॉकेट.1 सैकटर 22 द्वारका नई दिल्ली 10077 होगा लेकिन ट्रस्टीगण को यह पूरा अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का

$\alpha \rightarrow s(118)$



स्टाम्प विक्रय की तिथि.....  
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....  
स्टाम्प क्रेता का समय या पूरा पता.....

स्टाम्प की घटनाक्रिया.....  
रजिस्ट्रेशन लिह स्टाम्प विक्रय  
लाइसेंस नं. ०१/वाराणसी/एस  
Registration No. ०१/वाराणसी/एस  
प्राप्ति संख्या ४६/३१-३-२०१७

द्वारा दिया गया

गवाह  
Year : 2017


Book No. :

4

W1      आकाश तोमर  
इन्द्रपाल सिंह  
निरो हिलवाडी तहसील बडौत



W2      देवेन्द्रधामा  
ओमकार  
बिनौली तहसील बडौत





प्रदेश UTTAR PRADESH


BE 349636


5

कार्यालय द्रस्टियो की सहमति से उपरोक्त स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर स्थान्तरित कर सकते हैं।

- 3- यह कि द्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 1,51,000/-रु० जिसे आगे द्रस्ट फण्ड गया है तथा आने वाले भविष्य में द्रस्ट की सम्पत्ति नगद, धनराशि निवेश, धन, दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त द्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो को धारण करेंगे तथा उक्त द्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर द्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियों तथा कर्तव्यों को अनुपालन व प्रयोग करते हुए धारण करेंगे।
- 4- यह कि द्रस्टीगण फण्ड तथा द्रस्ट जिनकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्ति को शिक्षा सर्वधन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के

१४





UTTAR PRADESH

कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यशालाओं कर्मचारी प्रति व संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीकरण को आवश्यकता अनुसार समय-समय पर न्यास की उद्देश्यों परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5- यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण समय-समय पर भूमि का ग्रहण-अधिग्रहण सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों सामाजिक संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6- यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा तथा उन पर कोई प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को

18





प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 764108

7

आगे दिये हुए उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वर्गीय रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकत है।

### उपरोक्त द्रष्ट के कार्य एवं उद्देश्य

1. इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना ।
2. विश्वविद्यालय की स्थापना करना ।
3. मैडिकल कालिज, डेण्टल कालिज, नर्सिंग कालिज, पैरामैडिकल कालिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना ।
4. स्कूल, कालिज, तकनीकी शिक्षण, आई०टी०आई० कालिज की स्थापना एवं संचालन करना ।
5. उच्च शिक्षा के प्रसार व प्रचार हेतु पूर्ण रूप से प्रयास करना ।

*[Signature]*




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

30 MAR 2017

- 6 शिक्षा सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन, लाईब्रेरी सम्बन्धित सभी सुविधाएँ तथा छात्रावास आदि की सुचारू रूप से स्थापना करना व व्यवस्था करना ।
- 7 समाज के सभी वर्गों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति व जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान करना तथा इसके लिए सरकार से सहायता हेतु प्रयास करना ।
- 8 द्रस्ट के द्वारा निरीह प्राणियों पशु पक्षियों की समुचित चिकित्सा का प्रबन्ध करना तथा आवश्यकता अनुसार पशु चिकित्सालय स्थापित कर उसकी व्यवस्था करना ।
- 9 द्रस्ट के द्वारा जनहित में अस्पताल, अनुसंधान केन्द्र, जरूरत मंदों के वृद्धा आश्रम का संचालन एवं स्थापना करना ।



UTTAR PRADESH

DN 764110

9

आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण को व्यवस्था देना, जैसे कि  
वृक्षारोपण की योजना चलाना ।

- 10 ट्रस्ट समाज कल्याण हेतु निर्माण आदि का कार्य भी अपनी देख रेख मे  
करना तथा कृषि भूमि या अन्य कोई जमीन जायदाद खरीदना तथा कृषि  
भूमि पर खेती करना ट्रस्ट की भूमि पर भवन निर्माण आदि का कार्य  
करना ।
- 11 ट्रस्ट की आय बढ़ाने हेतु तथा समाज सेवा हेतु कल्याणकारी योजनाओं के  
लिए कार्य करना ।

*ASNS*



देश UTTAR PRADESH

10

14AD 610957

### न्यास ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र

1. यह कि उपरोक्त न्यास (ट्रस्ट) का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।
2. न्यासीगण (ट्रस्टीगण) के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व

संरक्षकः— ट्रस्ट के कार्यो हेतु सलाह व सुझाव देना ।

अध्यक्ष : ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक नियत समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग करना । ट्रस्ट की सभी कानूनी कार्यवाही पूर्ण करना ।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के समस्त कार्यो को निर्वाह करना ।

सचिव : ट्रस्ट की बैठको की व्यवस्था करना, बैठक के प्रस्तावित प्रस्तावो व आदेशो

॥

को कार्यरूप मे लाकर ट्रस्ट के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना। ट्रस्ट की बैठको को नियमानुसार व समय अवधि मे अध्यक्ष की आज्ञा से बुलाना, तथा सभी बैठको की समस्त कार्यवाहियों का पूर्ण विवरण कार्यवाही रजिस्टर मे अंकित करके अध्यक्ष महोदय से सत्यापित कराकर हस्ताक्षर कराना। ट्रस्ट की अग्रिम बैठक को बुलाने की सूचना के साथ उससे पहली बैठक की पूर्ण कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी प्रतिलिपि सभी ट्रस्टी सदस्यों को प्राप्त कराना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से उसका अनुमोदन कराना तथा ट्रस्ट की सभी प्रकार की चल व अचल संम्पत्ति का पूर्ण विवरण रचा उनकी सुरक्षा करना।

**कोषाध्यक्ष :** ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय का समस्त हिसाब रखना ट्रस्ट की दैनिक आय जो समस्त ट्रस्ट सम्बन्धी मंदो से प्राप्त हो रही उसका पूरा हिसाब रखना तथा आय व व्यय का समस्त हिसाब सचिव द्वारा सत्यापित कराना तथा उसको अनुमोदित कर भुगतान करना। ट्रस्ट से सम्बन्धित चालू खाते, सेविंग खाते, सावधि जमा खाते ओवर ट्रस्ट खातो का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष व सचिव के साथ मिलकर करना।

- 3 यह कि उपरोक्त द्रस्ट मे संरक्षक श्री अभयराम पुत्र धूली गिर व अध्यक्ष विनोद कुमार गिरि पुत्र अभयराम व उपाध्यक्ष शशांक शेखर पुत्र श्री सदानन्द ज्ञा व सचिव राजीव कुमार गोस्वामी पुत्र स्व० श्री पी०जी० गोस्वामी कोषाध्यक्ष अवि गोस्वामी पुत्री विनोद कुमार गिरि ।
- 4 यह कि आने वाले भविष्य मे यदि उपरोक्त द्रस्ट के अन्दर द्रस्टियो (सदस्यो) की संख्या बढ़ती है तो उनके केवल 11 (ग्यारह) सदस्यो तक बढ़ाया जा सकेगा । जिसमे सदस्यो की कार्यकारिणी भी शामिल है ।
- 5 यह कि यदि उपरोक्त द्रस्ट मे किसी द्रस्टी के साथ अकस्मात् कोई हादसा या द्रस्टी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को उपरोक्त द्रस्ट मे बतौर द्रस्टी शामिल किया जाना आवश्यक होगा । उसमे कोई कानूनी बाधा होगी और न ही किसी द्रस्टी को इसमे कोई आपत्ति होगी
6. यह कि यदि द्रस्टी अवि गोस्वामी पुत्री विनोद कुमार गिरि की शादी हो जाती है और शादी के बाद कोई हादसा हो जाता है तो उस दशा मे द्रस्टी के उत्तराधिकार केवल उसके माता पिता या भाई को होगा अन्य कोई इस द्रस्ट मे उसके स्थान पर दावेदारी करता है तो उसकी दावेदारी कर्तव्य निष्प्रभावी व अमान्य होगी ।

- 7 यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे निर्माण कार्य, ठेकेदारी कार्य, शिक्षा प्रचार मुकदमेबाजी न्यायालय से सम्बन्धित कार्य ट्रस्ट के हित से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य किया जायेगा तो उसमे उपरोक्त ट्रस्टियों की राय व सहमति आवश्यक होगी ।
- 8 यह कि आपातकालीन कोई समस्या के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष को बुलाने का पूर्ण अधिकार होगा अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे सचिव उपरोक्त कार्य को अर्थात् बैठक की अध्यक्षता का संचालन करेगा ।
- 9 यह कि आने वाले भविष्य मे यदि उपरोक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति ट्रस्ट की रहेगी यदि ट्रस्टियों की सख्त्या बढ़ जाती है तो समस्त ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर ट्रस्टियों का समान अधिकार होगा ।
- 10 यह कि ट्रस्ट की प्रत्येक कार्यवाही की बैठक मे सभी ट्रस्टियों व पदाधिकारियों का होना आवश्यक होगा ।
- 11 यह कि उपरोक्त ट्रस्ट की बैठक प्रत्येक महीने के अन्तिम सप्ताह मे होनी अनिवार्य होगी ।
- 12 यह कि उपरोक्त ट्रस्ट की बैठक मे अध्यक्ष व सचिव की उपस्थिति होनी आवश्यक होगी । अगर किसी कारणवश अध्यक्ष सचिव मौजूद नहीं रहते तो बैठक का कोई भी निर्णय अमान्य होगा ।

- 13 यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के नाम से चालू खाता सावधि जामा खाता सेविंग जमा खाता, औवर ड्राफट खाता ऋण खाता, किसी भी नेशनल बैंक तथा प्राइवेट बैंक मे खोला जा सकता है। उपरोक्त खातो को ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव के नाम से खोला जायेगा उपरोक्त खातो को अध्यक्ष व सचिव की सहमति से ही संचालित किया जायेगा।
- 14 यह कि ट्रस्ट के समस्त धन के खातो का आंकलन 31 मार्च तक करना अनिवार्य होगा तथा आर्थिक वर्ष आय व्यय का लेखा जोखा व चिठ्ठा जो बनाया जायेगा वह अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षरो द्वारा ही मान्य होगा।
- 15 यह कि अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिए समय—समय पर उधार पर ऋण लेने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियो को बन्धक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिए उधार/ऋण /बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के काम के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार होगा इन सभी कार्यो का अधिकार केवल अध्यक्ष व सचिव को होगा।

यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्रस्ट की सम्पत्तियों आदि को किराये पर देने लेने व सभी प्रकार के शेयरों ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

17 यह कि एतद्वारा स्थापित किया गया द्रस्ट अप्रति सहरणोय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश द्रस्टिगण उक्त द्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ रहते हैं तो द्रस्ट की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्तियों को निस्तारण करके द्रस्ट की सभी देनदारियों व भुगतान करने के पश्चात् द्रस्ट का विघटन किया जा सकता तथा देनदारियों के पश्चात् जो भी हानि या लाभ होगा वह द्रस्टिगण वहन करने के लिए जिम्मेदार होगे तथा उसकी प्रत्येक द्रस्टी की जिम्मेदारी होगी ।

